कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फर्रूखाबाद

पत्रांक 2226/14–1, दिनांकः फर्रूखाबाद, ~~फरवरी~~ 12/03/2021

सेवा में,

उपमहा प्रबन्धक–रिटेल
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लि0
क्षेत्रीय कार्यालय आगरा

विषयः– जनपद फर्रूखाबाद–फतेहगढ़–गुरसहायगंज रोड (एस0एच0–29ए) किमी0 नं0 9 (चैनेज 8. 053) बांयी पटरी पर खसरा सं0–634 मि0 ग्राम–भूलनपुर चिरपुरा, परगना–भोजपुर, तहसील–सदर, जिला–फर्रूखाबाद पर संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2, का पत्रांक–पी–75/81–2–2019–800(118)/2019 दिनांक 26.12.2019

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 एफ0एन0 संख्या– एफ0एन0–11/एफ0सी0/आर0ओ0सी0/95–2015/92 दिनांक 30.04.2019 के दृष्टिगत जनपद फर्रूखाबाद में फतेहगढ –गुरसहायगंज रोड (एस0एच 29ए) के किमी0 09 (चैनेज 8.053),बॉयी पटरी पर खसरा सं0–634मि, ग्राम–भूलनपूर चिरपुरा ,परगना–भोजपुर तहसील–सदर जिला फर्रूखाबाद में हिन्दुस्तान कार्पोशन लि0 आगरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.076964 हे0 संरक्षित वन भूमि के 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन दी गई है। उक्त संदर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के कम में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही करने की मांग की जाती है।

1. शर्त संख्या– 1 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि "The forest land to be diverted for approach/access should not be more than 0.1 ha. in each case".
2. शर्त संख्या– 3 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि "वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ".
3. शर्त संख्या– 5 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रोजेक्ट साइट संरक्षित क्षेत्र से बाहर होगी एवं ईको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत नहीं सम्मिलित होगी।
4. शर्त संख्या– 9 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर प्रभागीय निदेशक द्वारा चिन्हित एवं प्रमाणित राजकीय भूमि पर न्यूनतम 50 वृक्षों का वृक्षारोपण किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 50 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू–94146.00 (मु0 चौरानवे हजार एक सौ छियालिस रू0 मात्र) प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय में ऑनलाइन ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें।
5. शर्त संख्या–10 के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि 6,26,000/– की दर से 0.076964 X 6,26,000 = 48180.00 (मु0 अड़तालिस हजार एक सौ अस्सी रू0 मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधिं प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें।
6. शर्त संख्या– 11 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आसपास के फलौरा (वनस्पति)/फाना (वन्यजीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगें, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगें।
7. शर्त संख्या– 13 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
8. शर्त संख्या– 15 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हों, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
9. शर्त संख्या– 16 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वन भूमि के एक्सीलेशन/डी–एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिये वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश मार्ग का निर्माण भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले–आउट प्लान के आधार पर ही किया जायेगा।

10. शर्त संख्या– 17 के अनुपालन हेतु आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जायेगा, जिसमें फयूल स्टेशन का लोकेशन अंकित किया जायेगा।
11. शर्त संख्या– 18 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि फयूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी (1X1.5 मीटर) पर कम छत्र के वृक्षों का रोपण किया जायेगा जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जोकि हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फयूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
12. शर्त संख्या– 19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधिं प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग व ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध करायें।
13. शर्त संख्या– 20 के अनुपालन में इस सम्बन्ध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उक्त भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में वनभूमि तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता नहीं रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिये आवश्यक न हो, वन विभाग, उ0प्र0, सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
14. शर्त संख्या 21 के अनुपालन में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
15. शर्त संख्या– 22 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या–J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02., दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया गया है कि उन्होंनें यदि लागू हैं तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावर्णीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।
16. शर्त संख्या–23 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
17. शर्त संख्या–24 के सम्बंध में वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि समय–समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
18. शर्त संख्या–26 के अनुपालन में वचनवद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रकिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग,फैलिंग, लांगिंग एवं ट्रांन्सपोर्टशन चार्जेज वन निगम को भुगतान करना होगा एवं वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तो की परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं Online Payment History की प्रति पृथक–पृथक 05 प्रतियों में मूल हस्ताक्षर सहित उपलब्ध करायें।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फर्रूखाबाद।

पत्रांक 2226/ दिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, फर्रूखाबाद।